

राजस्थान सरकार
कार्यालय परिवहन आयुक्त


क्रमांक:- प.7(94)परि/नियम/मु०/2020/6667

जयपुर, दिनांक:- 29.03.2020

आदेश

इस कार्यालय के द्वारा आदेश क्रमांक प.7(94)परि/नियम/मु०/2020/6646 जयपुर, दिनांक 29.03.2020 जारी किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) 13029/1985 में प्रस्तुत की गयी अंतरिम आवेदन संख्या 45883/2020, 45912/2010 तथा 48912/2020 में दिनांक 27.03.2020 को दिये गये आदेश के आलोक में कतिपय निर्देश प्रदान किये गये थे। निर्देशों के बिन्दु संख्या 5 में TRC पर चल रहे वाहनों के लम्बित पंजीयन समस्त पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 31.03.2020 तक किये जायेंगे, सवहन से अंकित हो गया था। इसके स्थान पर निम्न प्रकार से पढ़ा जायेगा:-

(5) TRC पर चल रहे वाहनों के लम्बित पंजीयन समस्त पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 30.04.2020 तक किये जायेंगे।


(रवि जैन)


परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक प.7(94) परि/नियम/मु०/2020/6668-6678

जयपुर, दिनांक 29.03.2020

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
4. समस्त जिला कलेक्टर।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक।
6. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण/कर्मचारीगण।
7. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
8. श्री श्रीपाल यादव, तकनीकी निदेशक, एन आई सी, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
9. श्री रजनीश, जनसंपर्क अधिकारी को समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु।
10. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।


अपर परिवहन आयुक्त (नियम)
29/03/2020